सं०: डब्ल्यू-11042/16/2010-जल-॥
भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)

9वॉ तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ काम्प्लैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली, 110003
दिनांक: 25/05/2014

सेवा में,

निदेशक, टीडब्ल्यूएडी बोर्ड
तमिल नाडु सरकार,

विषय:- राष्ट्रीय पेयजल सुरक्षा पायलट परियोजनाओं के अधीन धर्मापुरी जिला में भारोपपुर ब्लाक में सभी ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम जल सुरक्षा योजनाओं की तैयारी

महोदय,

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय आपके राज्य सहित विभिन्न राज्यों में अतिशोषित ब्लाकों में राष्ट्रीय पेयजल सुरक्षा पायलट परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रहा है। पायलट परियोजनाओं के प्रारंभिक स्तर के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य का कार्य पायलट ब्लाकों में समुदाय और पीएचईडी विभाग की भागीदारी से ग्राम जल सुरक्षा योजना को विकसित करना था।

भोरापपुर ब्लाक में गॉव ओशाली के लिए ग्राम जल सुरक्षा योजना (वीडब्ल्यूएसपी) को योजना का मूल्यांकन करने और इसमें सुधार लाने में सहायता करने के लिए एमडीडब्ल्यूएस के पास भजा गया था। आपके राज्य द्वारा भेजी गई संशोधित योजना को जहाँ तक योजना की तकनीक से संबंध है, मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था।

तथापि, दिनांक 30/07/2014 को अभी हाल ही में आयोजित की गई वीडियो कांफ्रेंस में यह नोट किया गया था कि शेष ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम जल सुरक्षा योजनाओं की तैयारी आपके राज्य में पायलट ब्लाक के लिए पूरी नहीं की गई है। वीसी में यह सुझाव भी दिया गया था कि तैयार किए गए सभी वीडब्ल्यूएसपी को वित्तीय अनुमोदन एवं कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति संबंधी समिति के (एसएलएसएससी) समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाए।

अत: यह अनुरोध है कि इस मामले पर ध्यान दें और सभी जीपी के लिए वीडब्ल्यूएसपी की तैयारी को पूरा करने के संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दें और अगली एसएलएसएससी बैठक से पहले प्रस्तुत करें।

भवदीय

(डा० दिनेश चन्द्र)

अति० सलाहकार(पीएचई)

प्रतिलिपि:

1. प्रधान सचिव, तमिलनाडु सरकार
2. जिला आयुक्त, धर्मापुरी, तमिलनाडु
3. राज्य नोडल अधिकारी, पायलट परियोजना, तमिलनाडु

अनुलग्नक:

1. 30/07/2014 को हुई वीडियो कांफेंस का कार्यवृत्त